संख्या- 10/2015/355 /अडतीस-7-2015-369नरेगा/2008

प्रेषक,

गोविन्द राजू एन0एस0,
विशेष सचिव,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 **लखनऊ दिनांक 02 मार्च, 2015**

विषय- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत प्रशासनिक व्यय मद की धनराशि के संबंध में दिशा-निर्देश ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कृपया शासनादेश संख्या -2150/अडतीस-7-2014-369एनआरईजीए/2008 दिनांक: 16-07-2013 एवं शासनादेश संख्या -455/अडतीस-7-2014-369एनआरईजीए/2008 दिनांक: 25-02-2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2 - वर्तमान में प्रदेश में मनरेगा कार्मिकों यथा-तकनीकी सहायकों एवं अन्य के मानदेय के भुगतान के संबंध में समस्या बनी हुई है। अत उपरोक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि किसी भी वर्ष में राज्य मुख्यालय स्तर पर 1/2 प्रतिशत धनराशि में से अवशेष धनराशि को भी नरेगा कार्मिकों के केवल वेतन/मानदेय के भुगतान के लिए जनपद/विकास खण्ड स्तर पर हस्तान्तरित करके उपभोग किया जा सकता है।

3- कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए यह सुनिश्चित करने का कष्ट करें कि प्रशासनिक व्यय की कोई भी धनराशि लैप्स न होने पाए। धनराशि लैप्स होने की दशा में मुख्य विकास अधिकारी एवं उपायुक्त, मनरेगा व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। तद्नुसार धनराशि का उपभोग करने के पश्चात समस्त मुख्य विकास अधिकारी, आयुक्त, ग्राम्य विकास/अपर आयुक्त, मनरेगा को दिनांक: 31-03-2015 के पूर्व सूचना उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

भवदीय

(गोविन्द राजू एन0एस0)
विशेष सचिव।

संख्या- 10/2015/355(1)/अडतीस-7-2015 तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
2. अपर आयुक्त (मनरेगा), ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. निदेशक, सोशल आडिट, उ0प्र0।
5. समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उ0प्र0।
6. गार्ड बुक।

आज्ञा से

(उमा कान्त पाठक)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।